कार्यालय महानिदेशक, दीनदाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ।

पत्रांक–3712/मा0सं0वि0/FSSAI/23(10)/2013-14 दिनांक 29 दिसम्बर, 2014

अल्पकालिक निविदा सूचना

संस्थान पर एफ.एस.एस.ए.आई, नई–दिल्ली द्वारा स्वीकृत ''मास एक्टीवेशन कान्टेक्ट प्रोग्राम'' परियोजना में प्रचार–प्रसार एवं जन–सम्पर्क कार्य हेतु सामग्री क्रय करने के लिए फर्मों/संस्थाओं से निविदा आमंत्रित की जाती है। नियम एवं शर्तें निविदा फार्म के साथ संलग्न होगी। निविदा फार्म कार्यालय अवधि में (सोमवार से शुक्रवार) संस्थान से रु0 500.00 (नॉन रिफन्डेबल) का नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है या संस्थान की वेब–साइट www.sirdup.in से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म डाउनलोड करने वाले फर्म को निविदा फर्म के साथ रु0 500.00 (नॉन रिफन्डेबल) डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि ''महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में देय हो संलग्न करना होगा। सामग्री के नमूने कार्यालय अवधि में संस्थान पर आकर देखें जा सकते हैं। निविदा मोहरबन्द लिफाफे में दिनांक 12.01.2015 अपरान्ह 1:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त हो जानी चाहिए, प्राप्त निविदायें उसी दिन सांय 3:00 बजे संस्थान में निविदा समिति के समक्ष खोली जायगी।

महानिदेशक, संस्थान को एक अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बनाये निरस्त करने का का पूर्ण अधिकार होगा।

संयुक्त निदेशक
कृते महानिदेशक

फार्म संख्याः 3...........

दीन दयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ–227202

दूरभाषः 05212–298209, 298291 फैक्सः 05212–298291

निविदा प्रपत्र
(मूल्य रूपया 500/– मात्र)
(नान रिफन्डेबुल)

जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुसूची–1

निविदा–प्रपत्र

(तकनीकी विड)

सेवा में,

महानिदेशक,
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान,
बख्शी का तालाब,
लखनऊ।

विषयः खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मॉस कॉनट्रैक्ट एक्टीवेशन प्रोग्राम परियोजना के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा, संचार सम्बन्धी गतिविधियों के संचालन हेतु स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री क्रय करने के सम्बंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निविदा–प्रपत्र से सम्बन्धित वांछित सूचनायें कमवार निम्नवत् अंकित हैः–

1. निविदादाता फर्म/संस्था का पूरा नाम एवं रजिस्टर्ड ऑफिस का पता :
   ....
   ....
   ....

2. निविदादाता फर्म/ संस्था का टेलीफोन/मोबाइल/फैक्स/ई–मेल।
   ....
   ....

3. फर्म/संस्था के प्रोपराइटर/पार्टनर/डायरेक्टर का नाम जो फर्म की ओर से हस्ताक्षर हेतु अधिकृत हो।

   (i) ....
   (ii) ....
   (iii) ....
   (vi) ....

4. (i) आयकर सम्बन्धी PAN सं0 (पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।
   (ii) वाणिज्य कर सम्बन्धी पंजीयन/टिन सं0 (पंजीयन की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

5 (i) पिछले तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष कुल टर्न ओवर रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड मात्र) हेतु (Audited Financial Statements) प्रति संलग्न करें।

टर्न ओवर (रू0 में लाख)	दिनांक 31.03.2012 को	दिनांक 31.03.2013 को	दिनांक 31.03.2014 को

(ii) किसी विवाद, दिवालियापन की स्थिति या किसी अन्य कारण से अनुबन्ध अवधि समाप्त होने के पूर्व ही यदि सेवायें समाप्त हुई हों तो विवरण (कारण सहित उल्लेख कीजियें)।
....
....
....

(iii) पिछले तीन वर्षो के प्रदत्त आयकर की स्थिति (आयकर रिटर्न की स्वप्रमाणित छायाप्रति) संलग्न करें।

6. (i) निविदा शुल्क 500/– जमा की रसीद/बैंक ड्राफ्ट संख्या .... दिनांक...................

(ii) निविदा के साथ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट (SMD) के रूप में ''महानिदेशक, दी.द.उ. राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ'' के पक्ष में देय। बैंक ड्राफ्ट का विवरण:–

(अ) ड्राफ्ट नं0 ....
(ब) दिनांक ....
(स) धनराशि ....
(द) देय : लखनऊ

(iii) निविदा में क्रय हेतु उल्लिखित प्रकृति की सामग्री (निविदा में उल्लिखित बैग, स्टेशनरी, कैप आदि) की आपूर्ति का 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

7. आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री तथा उसकी विशिष्टियां निम्नवत् है –

क्रमांक	सामग्री का नाम	विशिष्टियां
1.	कैप – 'ए'	सफेद, कॉटन मेटी क्लाथ की, वेल–क्रो लगा हो, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट बड़ो के लिए स्टैण्डर्ड साइज में नमूने के अनुसार।
2.	कैप – 'बी'	सफेद, कॉटन मेटी क्लाथ की, वेल–क्रो लगा हो, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट बच्चों के लिए स्टैण्डर्ड साइज में नमूने के अनुसार।
3.	एप्रेन	सफेद कॉटन मेटी क्लाथ 04 कलर में प्रिन्ट नमूने के अनुसार आकार का।
4.	सैफ कैप	सफेद कॉटन मेटी क्लाथ 04 कलर में प्रिन्ट स्टैण्डर्ड आकार के नमूने के अनुसार।
5.	सैफ दस्ताने	सफेद मेटी कॉटन क्लाथ 04 कलर में प्रिन्ट स्टैण्डर्ड आकार के नमूने के अनुसार।
6.	बैग – 'ए'	स्कूल पीठ्ठु बैग, क्लाथ पी0वी0सी0 मेटी 1800/1800 डेन्यिल, कुशन लगा हो, 10 नं0 चेन, 10 नं0 रनर, 03 पॉकेट, 01 साइड बोतल पॉकेट, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट, आकार 16''x 12'' x 7'' नमूने के अनुसार।
7.	बैग – 'बी'	स्कूल पीठ्ठु बैग, क्लाथ पी0वी0सी0 मेटी 600/600, 8 नं0 चेन, 8 नं0 रनर, 03 पॉकेट, 01 साइड बोतल पॉकेट, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट, आकार 16'' x 12'' x 7'' नमूने के अनुसार।
8.	बैग – 'सी'	स्कूल पीठ्ठु बैग, आकार 16'' x 12'' x 5'' नमूने के अनुसार।

9.	पाउच बैग	मेटी 600 x 600, 02 पॉकेट, 8 नं0 चेन, 08 नं0 रनर, दोनों तरफ 04 कलर लोगो प्रिन्ट नमूने के अनुसार।
10.	एक्साम बोर्ड	एक्साम क्लिप बोर्ड 24.0 x 34.5 से0मी0 स्टेण्डर्ड कम्पनी का 04 कलर में लोगो प्रिन्ट नमूने के अनुसार।
11.	पेन्सिल पाउच (पेन्सिल, रबर के साथ)	पी0वी0सी0 मेटी क्लाथ, 04 कलर में लोगो प्रिन्ट नॉन शार्पिन्ग (छिलने वाली) पेन्सिल तथा रबर स्टेण्डर्ड कम्पनी की नमूने के अनुसार।
12.	पेन्सिल तथा रबर	नॉन शार्पिन्ग पेन्सिल तथा रबर स्टैण्डर्ड कम्पनी की नमूने के अनुसार।
13.	वाटर कलर	12 शेड, स्टैण्डर्ड कम्पनी के, 03 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए सुरक्षित नमूने के अनुसार।
14.	वैक्स कलर पेन्सिल	12 वैक्स कलर (Wax Crayons) सेट, 75 मि0मी0 स्टैण्डर्ड कम्पनी के 03 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित नमूने के अनुसार।
15.	ड्राइंग बुश सेट	ड्राइंग बुश 01 नम्बर तथा 02 नम्बर स्टैण्डर्ड कम्पनी नमूने के अनुसार।
16.	ड्राइंग शीट	ए–3 आकार (11.6'' x 16.5'') की सफेद ड्राइंग शीट नमूने के अनुसार।
17.	पोस्टर ड्राइंग शीट	22'' x 28'' आकार सफेद ड्राइंग शीट (कार्ड शीट) नमूने के अनुसार।
18.	बिस्कुट पैकेट तथा रेडी–टू–सर्व फ्रुट ब्रेवेज	स्टैण्डर्ड कम्पनी के एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार मैंगो पल्प (लगभग 150–170मि0ली0) रेडी–टू–सर्व फ्रुट ब्रेवेज तथा बिस्कुट पैकेट लगभग 35–40 ग्राम वजन नमूने के अनुसार क्वालिटी का।
19.	खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए किट (Adulteration Kit)	कैरी बैग/बाक्स में वैज्ञानिक रुप से अनुमन्य मानकों के अनुसार पृथक–पृथक निम्न रसायन तथा उपकरण होंगे – **1. रसायन** ✶ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ✶ फेरिक क्लोराइड ✶ आयोडीन विलयन ✶ एल्कोहलिक कास्टिक पोटास ✶ सोडियम कार्बोनेट ✶ रोजोलिक एसिड ✶ फेरस सल्फेट ✶ स्प्रिट ✶ ब्रोमोक्रिसाल परपल ✶ डाई मेथाइल अमीनो बेन्जाल्डिहाइड ✶ रेक्टिफाइड स्प्रिट ✶ सुक्रोज ✶ नाइट्रिक एसिड ✶ पेट्रोलियम ईथर ✶ रिसोर्सिनोल ✶ लिक्विड पैराफिन ✶ यूरिएज एन्जाइम ✶ मेथाइल एल्कोहल ✶ सेलिवानोफ्स रीएजेन्ट ✶ पोटैशियम आयोडाइड विलयन **2. उपकरण** ✶ टेस्ट ट्यूब (परखनली) ✶ लेन्स ✶ टेस्टट्यूब स्टैण्ड ✶ फिल्टर पेपर ✶ रूई ✶ दस्ताने

		✶ चुम्बक ✶ स्प्रिट लैम्प ✶ वाश बोतल ✶ पोली शीट प्रत्येक रसायन की मात्रा ....100....मि0ली0 में नमूने के अनुसार।

मैंने/हमने महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना के संदर्भ में निविदा–प्रपत्र में उल्लिखित कार्यों/शर्तों को भलीभॉति पढ़कर समझ लिया है तथा उक्त निविदा प्रपत्र में दर्शायी गयी समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ/करते हैं।

उक्त हेतु निर्धारित प्रारूप (वित्तीय विड) पर अपनी दरें समस्त करों सहित (जो प्रचलन में हो) अलग सीलबन्द लिफाफे में तथा (SMD) के रूप में धनराशि रू0 .... ड्राफ्ट सं0 .... दिनांक ....के साथ प्रेषित कर रहा/रहे हूँ/हैं।

हस्ताक्षरः ....
(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नामः ....
पताः ....

मुहर सहित ....
दिनांकः ....

दिनांकः

संलग्नकः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्रों के साथ (Letter of Authority/Power of Attorney) जैसी भी स्थिति हो।

निविदा की शर्तें–

1. निविदा फार्म, निविदा की शर्तें एवं सामग्री/कार्य विवरण दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ की बेवसाइट www.sirdup.in पर उपलब्ध है। निविदा फार्म व शर्तें बेवसाइट से डाउनलोड कर फर्म/संस्था द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, के पक्ष में रू0 500/– (नॉन रिफन्डेबल) का डिमाण्ड ड्राफ्ट साथ में संलग्न किया जायेगा। निविदा फार्म रू0 500/– नकद भुगतान करके कार्यालय से कार्यालय अवधि (सोमवार से शुक्रवार) को भी प्राप्त की जा सकती है।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफों में निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदा के दो भाग होगें। निविदा के प्रथम भाग में **तकनीकी निविदा (अनुसूची–1)** मुहरबन्द लिफाफे में तथा निविदा भाग–दो में **वित्तीय निविदा (अनुसूची–2)** मुहरबन्द लिफाफे में अलग–अलग रखकर उन दोनों मुहर बन्द लिफाफों को पुनः एक बड़े लिफाफे में मुहरबन्द किया जायेगा। **तकनीकी निविदा** की आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने की स्थिति में ही सम्बन्धित की **वित्तीय निविदा** पर विचार किया जायेगा। लिफाफे के ऊपर निविदा जिसके लिए निविदा बॉक्स में डाली जा रही है उसका उल्लेख तथा जिसको भेजना है उसका सम्बोधन महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय,राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ को आवश्यक होगा।
3. निविदायें दिनांक 12.01.2015 को अपरान्ह 1:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में उपलब्ध निविदा बॉक्स में डाली जा सकती है। इस तिथि एवं समय के पश्चात किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. निविदायें दिनांक 12.01.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे निविदा समिति के सम्मुख खोली जायेगी, जहां पर निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित रह सकते है।
5. निविदा के साथ अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के रूप में रू0 25,000/–(रू0 पच्चीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ" के पक्ष में लखनऊ में देय हो, संलग्न किया जाये। बिना अर्नेस्ट मनी के किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
6. सफल निविदादाता के द्वारा रू0 रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) की धनराशि Security Deposits के रूप में संस्थान पर रखा जायेगा। उक्त Security Deposits को अनुबन्ध अवधि में संतोषजनक कार्य की समाप्ति के उपरान्त ही निविदादाता को वापस किया जायेगा। उक्त Security Deposits की धनराशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।
7. स्वीकृत निविदादाता की अर्नेस्ट मनी को समस्त औपचारिकताओं के पूर्ण होने के उपरान्त सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में धनराशि रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख मात्र) समस्त आपूर्ति प्राप्त होने पर तथा अस्वीकृत निविदादाताओं की अर्नेस्ट मनी धनराशि निविदा खुलने की तिथि के एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी, जिसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
8. फर्म/प्रतिष्ठान का आयकर व व्यापार कर में पंजीकरण प्रमाण–पत्र निविदा के साथ उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. विगत तीन वर्षो में निविदादाता फर्म का प्रत्येक वर्ष टर्नओवर रू0 एक करोड का होना अनिवार्य है।
10. निविदा खोलते समय निविदादाताओं द्वारा आयकर/व्यापार कर की मूल प्रति मिलान/परीक्षण के लिए साथ लाना अनिवार्य होगा।
11. प्रस्तर–07 में उल्लिखित विशिष्टियों की सामग्री नमूनों के आधार पर उपलब्ध किया जाना है सामग्री के नमूने किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय अवधि में संस्थान पर आकर देखे जा सकते है।
12. कार्यक्रम प्रभारी द्वारा समय–समय पर आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी किया जायेगा तथा निविदा में उल्लिखित सामग्री फर्म/संस्था संस्थान से सम्बद्ध निम्न

क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों पर कार्यदेश में उल्लिखित तिथियों में आपूर्ति करते हुए चालान तथा प्राप्ति की प्रति के साथ बिल भुगतान हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान को प्रस्तुत करना होगा।

क्रमांक	राज्य/क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान का नाम	कार्यक्रम में आच्छादित जनपद
1.	राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बी0के0टी0, लखनऊ	लखनऊ
2.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गाजियाबाद	गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर
3.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, गोरखपुर	गोरखपुर
4.	क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान, आगरा	आगरा
5.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, कानपुर	कानपुर
6.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, बरेली	बरेली
7.	जिला ग्राम्य विकास संस्थान, वाराणसी	वाराणसी

13. यदि सामग्री नमूने के अनुसार प्राप्त नहीं होगी तो बिल का भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. रास्ते में सामान में किसी टूट–फूट की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।
15. फर्म निविदा में सामग्री के मूल्य का उल्लेख सभी करो को सम्मिलित करते हुए करे, लखनऊ से बाहर (सम्बन्धित संस्थानों पर) सामग्री की आपूर्ति के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
16. क्योंकि मॉस कान्ट्रैक्ट एक्टिवेशन प्रोग्राम अगले वित्तीय वर्ष तक संचालित होगा, निविदा में स्वीकृत दरे 31.03.2016 तक प्रभावी होगी। इस बीच बढ़ी हुयी दरे या कर मान्य नहीं होंगे।
17. कार्यादेश में उल्लिखित मात्रा में नमूने के अनुसार सामग्री सम्बन्धित संस्थान पर आपूर्ति के पश्चात बिल चालान के साथ भुगतान हेतु प्रस्तुत करने पर यथा सम्भव 01 माह में भुगतान कर दिया जायेगा। अपरिहार्य परिस्थिति में बिल के भुगतान में विलम्ब की स्थिति में फर्म द्वारा आपूर्ति रोकी नहीं जायेगी।
18. महानिदेशक संस्थान द्वारा निविदा अवधि निविदा में अनुमन्य दरो पर आपूर्ति की सहमति के आधार पर 31.03.2016 के पश्चात इस तिथि को कम–से–कम 03 माह की अवधि तक आगे बढ़ाया जा सकता है।
19. किसी भी एक निविदा को अथवा सभी निविदाओं को महानिदेशक दी0द0उ0 राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ द्वारा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा किसी भी प्रकार के विवाद पर वाद का न्यायालय क्षेत्र लखनऊ होगा।
20. किसी भी फर्म/संस्था द्वारा निविदा डालने पर यह मान लिया जायेगा कि फर्म को उपरोक्त सभी शर्तें मान्य हैं।
21. संस्थान के महानिदेशक का किसी भी मामले में दिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

महानिदेशक
दीनदयाल उपाध्याय
राज्य ग्राम्य विकास संस्थान
बख्शी का तालाब, लखनऊ

अनुसूची – 2

वित्तीय बिड

क्रमांक	सामग्री का नाम	विशिष्टियां	प्रति इकाई दर समस्त करो सहित
1.	कैप – 'ए'	सफेद, कॉटन मेटी क्लाथ की, वेल–क्रो लगा हो, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट बड़ो के लिए स्टैण्डर्ड साइज में नमूने के अनुसार।	
2.	कैप – 'बी'	सफेद, कॉटन मेटी क्लाथ की, वेल–क्रो लगा हो, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट बच्चों के लिए स्टैण्डर्ड साइज में नमूने के अनुसार।	
3.	एप्रेन	सफेद कॉटन मेटी क्लाथ 04 कलर में प्रिन्ट नमूने के अनुसार आकार का।	
4.	सैफ कैप	सफेद कॉटन मेटी क्लाथ 04 कलर में प्रिन्ट स्टैण्डर्ड आकार के नमूने के अनुसार।	
5.	सैफ दस्ताने	सफेद मेटी कॉटन क्लाथ 04 कलर में प्रिन्ट स्टैण्डर्ड आकार के नमूने के अनुसार।	
6.	बैग – 'ए'	स्कूल पीठ्ठु बैग, क्लाथ पी0वी0सी0 मेटी 1800/1800 डेन्यिल, कुशन लगा हो, 10 नं0 चेन, 10 नं0 रनर, 03 पॉकेट, 01 साइड बोतल पॉकेट, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट, आकार 16'' x 12'' x 7'' नमूने के अनुसार।	
7.	बैग – 'बी'	स्कूल पीठ्ठु बैग, क्लाथ पी0वी0सी0 मेटी 600/600, 8 नं0 चेन, 8 नं0 रनर, 03 पॉकेट, 01 साइड बोतल पॉकेट, लोगो 04 कलर में प्रिन्ट, आकार 16'' x 12'' x 7'' नमूने के अनुसार।	
8.	बैग – 'सी'	स्कूल पीठ्ठु बैग, आकार 16'' x 12'' x 5'' नमूने के अनुसार।	
9.	पाउच बैग	मेटी 600 x 600, 02 पॉकेट, 8 नं0 चेन, 08 नं0 रनर, दोनों तरफ 04 कलर लोगो प्रिन्ट नमूने के अनुसार।	
10.	एक्साम बोर्ड	एक्साम क्लिप बोर्ड 24.0 x 34.5 से0मी0 स्टेण्डर्ड कम्पनी का 04 कलर में लोगो प्रिन्ट नमूने के अनुसार।	
11.	पेन्सिल पाउच (पेन्सिल, रबर के साथ)	पी0वी0सी0 मेटी क्लाथ, 04 कलर में लोगो प्रिन्ट नॉन शार्पिन्ग (छिलने वाली) पेन्सिल तथा रबर स्टेण्डर्ड कम्पनी की नमूने के अनुसार।	
12.	पेन्सिल तथा रबर	नॉन शार्पिन्ग पेन्सिल तथा रबर स्टेण्डर्ड कम्पनी की नमूने के अनुसार।	
13.	वाटर कलर	12 शेड, स्टैण्डर्ड कम्पनी के, 03 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के प्रयोग के लिए सुरक्षित नमूने के अनुसार।	
14.	वैक्स कलर पेन्सिल	12 वैक्स कलर (Wax Crayons) सेट, 75 मि0मी0 स्टैण्डर्ड कम्पनी के 03 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए सुरक्षित नमूने के अनुसार।	
15.	ड्राइंग ब्रुश सेट	ड्राइंग ब्रुश 01 नम्बर तथा 02 नम्बर स्टैण्डर्ड कम्पनी नमूने के अनुसार।	
16.	ड्राइंग शीट	ए–3 आकार (11.6'' x 16.5'') की सफेद ड्राइंग शीट नमूने के अनुसार।	

17.	पोस्टर ड्राइंग शीट	22'' x 28'' आकार सफेद ड्राइंग शीट (कार्ड शीट) नमूने के अनुसार।	
18.	बिस्कुट पैकेट तथा रेडी–टू–सर्व फ्रुट ब्रेवेज	स्टैण्डर्ड कम्पनी के एफ0एस0एस0ए0आई0 द्वारा स्वीकृत मानकों के अनुसार मैंगो पल्प (लगभग 150–170मि0ली0) रेडी–टू–सर्व फ्रुट ब्रेवेज तथा बिस्कुट पैकेट लगभग 35–40 ग्राम वजन नमूने के अनुसार क्वालिटी का।	
19.	खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच के लिए किट (Adulteration Kit)	कैरी बैग/बाक्स में वैज्ञानिक रुप से अनुमन्य मानकों के अनुसार पृथक–पृथक निम्न रसायन तथा उपकरण होंगे – **2. रसायन** ✶ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ✶ फेरिक क्लोराइड ✶ आयोडीन विलयन ✶ एल्कोहलिक कास्टिक पोटास ✶ सोडियम कार्बोनेट ✶ रोजोलिक एसिड ✶ फेरस सल्फेट ✶ स्प्रिट ✶ ब्रोमोक्रिसाल परपल ✶ डाई मेथाइल अमीनो बेन्जाल्डिहाइड ✶ रेक्टिफाइड स्प्रिट ✶ सुक्रोज ✶ नाइट्रिक एसिड ✶ पेट्रोलियम ईथर ✶ रिसोर्सिनोल ✶ लिक्विड पैराफिन ✶ यूरिएज एन्जाइम ✶ मेथाइल एल्कोहल ✶ सेलिवानोफ्स रीएजेन्ट ✶ पोटैशियम आयोडाइड विलयन **2. उपकरण** ✶ टेस्ट ट्यूब (परखनली) ✶ लेन्स ✶ टेस्टट्यूब स्टैण्ड ✶ चुम्बक ✶ वाश बोतल ✶ फिल्टर पेपर ✶ रूई ✶ दस्ताने ✶ स्प्रिट लैम्प ✶ पोली शीट प्रत्येक रसायन की मात्रा ....मि0ली0 में नमूने के अनुसार।	